पत्रांक:- भवन/बजट–66-योजना–(सामान्य.प्रशासन.विभाग)-05/2019- 20..... 7851 (4)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 20/8/25

विषय:- सामान्य प्रशासन विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 2,30,28,275/- (दो करोड़ तीस लाख अठाईस हजार दो सौ पचहत्तर रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में **सामान्य प्रशासन विभाग** की योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल- **₹ 2,30,28,275/-** (दो करोड़ तीस लाख अठाईस हजार दो सौ पचहत्तर रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई.डी.	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश स०/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, बाँका	33237	Furniture & Furnishing work of old Circuit House at Banka District	4173/ 10.03.25	4,89,844/- (चार लाख नवासी हजार आठ सौ चौआलीस रूपये)
2.	भवन प्रमंडल, औरंगाबाद	33476	राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत औरंगाबाद जिलान्तर्गत संयुक्त कार्यालय भवन (जी+5) एवं कोषागार भवन (जी+2) का निर्माण कार्य	1786/ 31.01.24	1,79,03,579/- (एक करोड़ उन्यासी लाख तीन हजार पाँच सौ उन्यासी रूपये)
3.	भवन प्रमंडल, समस्तीपुर	33278	Extension of Pre Fabricated Record Room Above Existing Meeting Hall at Collectorate Samastipur	15051/ 13.08.25	46,34,852/- (छियालीस लाख चौंतीस हजार आठ सौ बावन रूपये)
	कुल योग:-				**2,30,28,275/-**

(दो करोड़ तीस लाख अठाईस हजार दो सौ पचहत्तर रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-01-कार्यालय भवन लघु शीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0104- समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण-सामान्य प्रशासन विभाग के लिएविपत्र कोड-03-4059010510104 के विषय शीर्ष-53-मुख्य कार्य-0104.53.01 मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा।
3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार, बिहार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

20/8/25

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।